


उत्तर प्रदेश शासन  
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-1  
संख्या-सं0वि0क0नि0-1-1668 / 11-2017-93 / 2017  
लखनऊ:दिनांक: 16 नवम्बर, 2017

-: विज्ञापित :-

सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिये सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग संबंधी कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-13/48/85-कार्मिक-1, दिनांक 26-10-1985, शासनादेश संख्या-868/13/6/98- का0-1-2000, दिनांक 23-09-2000 तथा शासनादेश संख्या-3/2017/13(1)/2007/का-1-2017, दिनांक 06-07-2017 के प्राविधानानुसार फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेंटल रूल 56 के खण्ड-(सी) के अधिकारों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि डा0 अनिल कुमार अग्रवाल, ज्वाइन्ट कमिश्नर इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जायें तथा तीन माह की अवधि के लिये वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हो, की नियमानुसार धनराशि के बराबर धन के दावेदार होंगे, जिस दर वह उनकी अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थे।

श्री राज्यपाल की ओर से,

एडी० कमि०

  
कमिश्नर  
16.11.2017


राजेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-सं0वि0क0नि0-1-1668 (1)/11-2017, तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संबंधित कोषाधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
5. डा0 अनिल कुमार अग्रवाल, ज्वाइन्ट कमिश्नर द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
6. कर एवं निबन्धन अनुभाग-4
7. गार्ड बुक।

4479  
16-11-17


16 (2210)

  
रसी एम  
16.11.17

849  
16.11.17  
श्री अशोक

  
16.11.17  
16 (2210)


3615  
16/11/17

  
आज्ञा से,

(एस0पी0 अग्रवाल)  
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 संयुक्त सचिव,कर एवं निबन्धन अनुभाग-1, उ०प्र०शासन सचिवालय, लखनऊ ।
- 2 एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।
- 3- एडीशनल कमिश्नर(विधि)वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।
- 5- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, वाणिज्य कर(कमिश्नर कैम्प) मुख्यालय ।
- 6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, वाराणसी।
- 7- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,जोन प्रथम, वाराणसी को दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासनादेश की एक प्रति तत्काल डा०अनिल कुमार अग्रवाल, ज्वाइन्ट कमिश्नर(टैक्स आडिट)-प्रथम, वाणिज्य कर, वाराणसी को तामील कराकर तामीलीशुदा प्रति मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- सम्बन्धित अधिकारी डा०अनिल कुमार अग्रवाल, ज्वाइन्ट कमिश्नर(टैक्स आडिट)-प्रथम, वाणिज्य कर, वाराणसी को उपरोक्तानुसार ।
- 9- डिप्टी कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर, वाराणसी ।
- 10- सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु ।
- 11- कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए, स्थापना राजपत्रित अनुभाग ।
- 12- चरित्र पंजिका पटला।

  
(बबिता तिवारी)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना)वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।